
Since inspection is carried out only based on complaints according to the attached GO dated 19/10/2012 (which can also be accessed at

http://uplabour.gov.in/MediaGallery/go%20no%201810%20dt%2019-09-2012.pdf), the question of differentiating compliance inspection requirements based on risk profile of industries is not applicable in the state.

34 JUU CUI CUI PERIN



## संख्या 2776/36-3-2003-11 (सा०)/98

प्रेपक,

सन्दर्भ मान

## मीरा यादव, प्रमुख संचिव,

उ०प्र० धासन्। 📜

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र०शासन 1.

भमायुक्त, उत्तर प्रवेश। 2.

समस्त विमागाय्यंक्ष उत्तर प्रदेश। 3.

समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश। 4.

समस्त जिलायिकारी उत्तर प्रवेश। 5.

श्रम अनुभाग - 3

## विषय : इंस्पैकटर राज का समापन

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार प्रवेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के लिए हर स्तर पर निवेशो-मुखी एवं उद्योगपूरक दातावरण सुजित करने के लिए फटिबन्द हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लया गया है कि प्रदेश के उद्योंगों को अनावश्यक इस्तक्षेप से मुक्त किया जाये, ताकि वे अपनी ऊर्जा का प्रयोग उत्पादक कार्यों के लिए कर सकें।

इस सम्बन्ध में समयक विचरोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-2.

''इंस्पैकटर राज तत्कालिक प्रभाव से मुअत्तल किया जाता है।''

अमायुक्त उतार प्रदेश, समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण उक्त आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराय्रेंगे

(मीरा यादव

लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2003

प्रमुख संचि

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, मुफ्फरनगर। तं० 607/15-45/2000-03/ जे**०**ए०,

विनाक × 20.9.2003

प्रतिलिपि समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट, मुजपफरनगर एवं सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र तथा सहायक भमायुक्त मुजक्फरनगर को आवश्यक कोर्यवाही हेतु तथा एक प्रति गार्ड फाइल पर रखें।

(चन्द्रपाल सिंह) अपर जिला मजिस्ट्रेट 'प्रशासन'

मुजफ्फरनगर

कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरनगर पत्रांक 5149/जिञ्डव्के०/मुल्मगर/2003-04

रिनोक : 11.11.03

प्रतिलिपि भी मोहित कुमार जैन, अध्यक्ष आई.आई.ए., रेलवे रोट, शामली को दिनांक 31.10.03 में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में मांगे गये शासनादेश के क्रम में पत्रक की प्रति, सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> महाप्र**ब**न्धक जिला उघोग केन्द्र मुजफ्फरनगर

आज दिनांक 15-11-03 को उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ है। सभी खदरवगण एव को ध्यान के अवलोकन का अपनी प्रमुख फाइल में लगा लें, यदि इसके उपरान्त भी कोई इंसपेक्टर परेशान करे तो तुरन्त पदाधिकारियों से सम्पर्क करे। धाण मोहित कुमार जैव, चैयस्मैव, इंडियम इंडस्ट्रीण एसेसिएलन, चैप्टर-सामकी द्वारा सम्माजीय सरक्तों की सेवा

प्रेषक . शैलेश कृष्ण, प्रमुख सचिव उ० प्र० शासन।

सेवा में,

257 10/2012

श्रम आयुक्त,
उ0 प्र0,कानपुर।

## श्रम अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

विषयः अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के कियान्वयन हेतु औद्योगिक इकाईयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया का निर्धारण। महोदय

अवस्थापना, एवं औद्योगिक निवेश नीति—2012 के प्रस्तर 3.1.1—3 में यह व्यवस्था की गयी है कि "शिकायत के आधार पर जॉच जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात ही की जायेगी।"

उक्त निवेश नीति के कियान्वयन हेतु राग्यक विचारोपरांत शासन दास यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक इकाईयों की शिकायतों के आधार पर जॉच जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आंदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। - भवदीय,

> ( शैलेश कृष्ण ) प्रमुख सचिव

(3)

18/0 /36-03-12

vien 1310 (17/36-3-2012, तददिनांक प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन। 1-निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ । 2-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, उद्योग निदेशालय, 37 कानपुर। समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (हारा श्रमायुक्त)। 4-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त) । 5-निदेशक कारखाना/निदेशक ब्वायलर्स 6-एवं समस्त अपर/उप/सहायक अमायुक्त (द्वारा अमायुक्त)। समरत शीर्ष औद्यागिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त)। 7-समस्त शीर्ष श्रमिक संगठन, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त) । 8-गार्ड फाईल। 9-(मुंवनेश्वर प्रसाद मिआ) अनु सचिव। कार्यालय, अम आयुधल, छन्जर प्रवेश, जीवटीव रोड, कार्नपुर। 17-112 25-10 - 2012 us even- 5326-5425 / unit-12 प्रतिसिपि– निम्नाहाखित को सुधनाने एव आवश्यक जनवंगडी हेतु प्रेपित। 1. समरत केंग्रीय आपर ८एउ / रस्तायक अग आयुवतों की इस आधाय से प्रेपित है कि ये अपने कं जन्तागंध समस्त प्रयुख औरद्वेपिक /श्रम संगठनों को भी इसकी प्रति अपने स्तर से उगलब्ध कराया जाना सुनिष्ठिचत करें । 2. समस्त मण्डलागुकत एत्तार प्रदेश। [इस्ता क्षेत्रीभ अष्य: [३४ /८३ भरु इश्वाधुक्त] 3. सारत जिला धावियारी, सत्तर अदेश। [इस्ता क्षेत्रीभ अषर/३४ /८३ भरु इश्वाधुक्त] 4. विवेश्व, कारवाल, /व्यावरारी ए ता गेत, मुख्याजय स्वेगपुर 5. जपद र त धायुप्त, एत्तार प्रयोग र म. ता., ज्याद, जात्युन घर देशायाय प्र वायर र यथलोड व्याये अती हत् र 6 - 6777 3747 / 30 AN 37 47 4 1007 7 4 21 437 1 1 4 4 4 4 3 4 3 7 1 3 book ( Bladowig PETIELA अपर अभ ठारम्वत, एत्तर प्रदेश वन्ते धम आयुक्त, उत्तव प्रदेश।